।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना रातानाडा, जोधपुर पूर्व।।

।। प्रेस नोट ।।

दिनांक 03.02.2023

- **पुलिस अभिरक्षा में बंदी सुरेशसिंह की हत्या का मुख्य सुत्रधार प्रवीणसिंह गिरफ्तार**
- **पैरोल से फरार इनामी अजयपाल सिंह उर्फ एपी सिंह का सहयोगी इमरान मंसूरी गिरफ्तार**

घटना का विवरण :–

घटना नम्बर–1 दिनांक 13.01.2019 को अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि दंडित बंदी अजयपालसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह जाति राजपूत निवासी केलावा कला, पुलिस थाना करवड जिला जोधपुर पूर्व जो कि दिनांक 25.12.2018 को 20 दिन के पृथम पैरोल पर गया था, बाद पैरोल उपस्थित नही हुआ। जिसपर प्रकरण संख्या 31/19 दिनांक 14.01.2019 धारा 58ख राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2015 दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुंधान व तलाश मुल्जिम शुरू किया गया। उक्त मुल्जिम अजयपाल मुकदमा नम्बर 124/14 धारा 302 भादसं पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर में माननीय विशिष्ट न्यायालय एससी एसटी एक्ट जोधपुर द्वारा दिनांक 07.11.2015 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था। उक्त अजयपालसिंह द्वारा फरारी के दौरान जिला सिरोही निवासी एक युवती से शादी की तथा आहोर जिला जालोर में अपने भाई यशपाल उर्फ रिछपाल उर्फ सेठी व अन्य के साथ मिलकर महेन्द्रखां की हत्या कर दी।

कार्यवाही पुलिस :–

उपरोक्त प्रकरण गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व के निर्देशानुसार श्री नाजिम अली अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व एवं श्री देरावरसिंह सहायक पुलिस आयुक्त वृत पूर्व के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। साईबर टीम द्वारा तकनीकी पहलूओं के आधार पर व अन्य सूचना संकलन से यह स्पष्ट हुआ कि वांछित अजयपालसिंह उर्फ एपी सिंह को फरारी के दौरान डस्टर कार व मोबाइल सिम उपलब्ध करवाने में तथा पुलिस से भगाने में मुख्य सुत्रधारों में इमरान मंसूरी नामक व्यक्ति है। जिसे भंवरसिंह उ.नि. मय टीम द्वारा अहमदाबाद गुजरात से गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में अब तक अजयपालसिंह की फरारी में सहयोग करने वाले कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

घटना नम्बर–2 दिनांक 18.12.2021 को श्री देवाराम सउनि मय जाब्ता के साथ केन्द्रिय कारागृह जोधपुर से बंदी सुरेशसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी दर्री पुलिस थाना गुढा एदला व अन्य कैदी के साथ जिला पाली में पेशी करवाने के बाद वक्त करीब सवा चार बजे भाटीया चौराहा पहुंचे व सरकारी वाहन का इन्तजार करने के दौरान अज्ञात मुल्जिमानों द्वारा बंदी सुरेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गईं। जिसपर प्रकरण संख्या 495/21 दिनांक 18.12.2021 धारा 332, 353, 307, 302/34, 120बी भादसं व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। उक्त प्रकरण में मुल्जिम जब्बरसिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति राजपूत निवासी मणीहारी पुलिस थाना गुढा एन्दला पाली व विक्रमसिंह पुत्र श्री सोदानसिंह जाति राजपूत निवासी खुनखुना जिला नागौर को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया, व अन्य मुल्जिमान की पहचान व तलाश जारी रखी गई।

कार्यवाही पुलिस :–

उपरोक्त प्रकरण गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व के निर्देशानुसार श्री नाजिम अली अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व एवं श्री देरावरसिंह सहायक पुलिस आयुक्त वृत पूर्व

के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। साईबर टीम द्वारा तकनीकी पहलूओं के आधार पर व अन्य सूचना संकलन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण संख्या 495/2021 में वांछित मुल्जिम प्रवीण सिंह अपने साथियों की मदद से उक्त प्रकरण के षड़यन्त्र का मुख्य सुत्रधार रहा है। पुलिस द्वारा लगातार पिछा करने व प्रवीणसिंह के साथियों की गिरफ्तारी करने से बने दबाव में प्रवीणसिंह द्वारा पाली न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। जिसें प्रोडक्शन वारन्ट पर प्राप्त कर न्यायालय में पेश कर रिमाण्ड पर लिया गया। उक्त मुल्जिम वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में है। जिससे गहनता से पुछताछ जारी है।

श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (अपराध) राजस्थान, जयपुर द्वारा मुल्जिम अजयपालसिंह उर्फ एपी की गिरफ्तारी के लिए 50000 रूपये के ईनाम की घोषणा की गई है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तो के नामः—

प्रकरण संख्या 495/2021 धारा 332, 353, 307, 302/34, 120बी भादसं व 3/25, 27 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना रातानाडा जोधपुर पूर्व।

01. प्रवीणसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 32 साल, निवासी गांव मणीहारी, पुलिस थाना गुढ़ा एन्दला, जिला पाली।

प्रकरण संख्या 31/2019 धारा 58ख राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2015, 174ए, 216, 225 भादसं पुलिस थाना रातानाडा जोधपुर पूर्व।

01. इमरान मंसूरी पुत्र श्री उस्मान भाई, उम्र 42 साल, जाति मुसलमान, निवासी मकबरा रोड़, घुमटी विस्तार, सरखेज रोजा, पुलिस थाना सरखेज, अहमदाबाद गुजरात।

थानाधिकारी
पुलिस थाना रातानाडा
आयुक्तालय जोधपुर पूर्व